महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय, अजमेर

प्रबन्ध बोर्ड की 87वीं बैठक

कार्यवृत्त (Minutes)

दिनांक : 31.08.2015 **प्रातः 11:00 बजे**

प्रबन्ध बोर्ड की 87वीं बैठक दिनांक 31 अगस्त, 2015 को अपराह्न 11:00 बजे बृहस्पति भवन स्थित प्रबन्ध बोर्ड कक्ष में सम्पन्न हुई। बैठक में निम्नलिखित सदस्य उपस्थित हुए:-

1. प्रो. कैलाश सोडाणी — अध्यक्ष
   कुलपति
2. डॉ. पी.के.शर्मा, — सदस्य
   (कुलाधिपति द्वारा नाम-निर्देशित शिक्षाविद्)
3. प्रो. भगवती प्रकाश शर्मा, — सदस्य
   (राज्य सरकार द्वारा नाम-निर्देशित शिक्षाविद्)
4. प्रो. लक्ष्मी ठाकुर — सदस्य
   (कुलपति द्वारा नामनिर्देशित आचार्य)
5. प्रो. जी.के. कोहली — सदस्य
   (कुलपति द्वारा नामनिर्देशित आचार्य)
6. प्रो. बी.पी. सारस्वत — सदस्य
   (कुलपति द्वारा नामनिर्देशित संकायाध्यक्ष)
7. कुलसचिव — सदस्य सचिव

नोट : (श्री शत्रुघ्न गौतम-विधायक, मास्टर मामन सिंह यादव- विधायक, प्रमुख शासन सचिव-शिक्षा, प्रमुख शासन सचिव-वित्त, प्रमुख शासन सचिव-आयोजना, निदेशक-कॉलेज शिक्षा बैठक में उपस्थित नहीं हो सके)

सर्वप्रथम बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ करने से पूर्व माननीय कुलपति महोदय ने उपस्थित श्री पी.के.शर्मा एवं श्री बी.पी.शर्मा द्वारा सदस्य के रूप में प्रथम बार बैठक में सम्मिलित होने पर स्वागत किया तथा आशा व्यक्त की कि प्रबंध बोर्ड इनके अनुभव एवं पूर्ण सहयोग से विश्वविद्यालय विकास की ओर उन्मुख होगा तथा प्रबंध बोर्ड की कार्यवाही में सभी का सहयोग मिलेगा। तत्पश्चात कुलपति महोदय द्वारा कुलसचिव को प्रबन्ध बोर्ड की कार्यवाही प्रारंभ करने हेतु निर्देशित किया गया एवं निम्नानुसार निर्णय लिए गये :-

मद	विवरण	अनुभाग/ विभाग
मद सं. 1	प्रबन्ध बोर्ड की दिनांक 09.06.15 को सम्पन्न हुई 86वीं बैठक के कार्यवृत्त (Minutes) की पुष्टि करना। उक्त कार्यवृत्त की एक प्रति सभी माननीय सदस्यों को इस कार्यालय के पत्र क्रमांक एफ. 13(86) शैक्षणिक-I/मदसविवि/2015/21078-89 दिनांक 23.06.15 के द्वारा प्रेषित की गई।	**शैक्षणिक-I**
निर्णय	**कार्यवृत की पुष्टि इस प्रेक्षण के साथ की गयी कि मद सं0 8 के निर्णय में प्रो0 जी.के.व्यास के स्थान पर प्रो0 जे.पी.व्यास पढ़ा जावे।**	

मद सं. 2	प्रबन्ध बोर्ड के सदस्यों को कुलपति महोदय द्वारा दीक्षान्त कार्यक्रम की जानकारी देना।	उपाधि
निर्णय	**दिनांक 05 अक्टूबर, 2015 को आयोजित होने वाले छठे दीक्षांत समारोह संबंधी कार्यक्रम की माननीय कुलपति महोदय द्वारा प्रदत्त जानकारी को प्रबंध बोर्ड के सदस्यों ने अभिलिखित किया।**	
मद सं. 3	माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर द्वारा दिनांक 27.08.2014 को याचिका 13198/2013 में प्रदत्त निर्णय की अनुपालना में जारी किये गये कार्यालय आदेश द्वारा याची 26 सहायकों के पद का वेतनमान दिनांक 01.04.1999 से रूपये 5500-175-9000 को पुनरीक्षित किये जाने के कारण ऐसे सहायकों जो उक्त याचिका में सम्मिलित नहीं थे उनके पद का वेतनमान रूपये 5000-150-8000 ही रह गया है । इस प्रकार एक ही पद के समान प्रक्रियानुसार नियुक्त समान कार्मिकों को इस कारण से परिवर्तित वेतनमान अभी तक नहीं दिया गया है क्योंकि वे याची नहीं थे । ऐसे कार्मिकों ने उनके पद का वेतनमान पुनरीक्षित किये जाने के प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किये है । प्राप्त प्रार्थना-पत्रों पर विधिक परामर्शदाता ने निम्नांकित परामर्श प्रदान किया है:- "माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के Similarly situated कार्मिकों की Parity-maintain करने के consistent view के मद्देनजर उन कार्मिकों को भी लाभ दिया जा सकता है जो किसी कारणवश न्यायालय नहीं गए । यह लाभ उस अवधि में दिया जाना मेरी राय में उपयुक्त होगा जब writ petitioners के हक में जारी आदेश की क्रियान्विति सम्पन्न हो जाती है ।" उपर्युक्त विधिक परामर्श के आधार पर विश्वविद्यालय में सहायक पद का वेतनमान सभी के लिए दिनांक 01.04.1999 से रूपयें 5500-175-9000 दिये जाने पर विचार करना ।	संस्थापन
निर्णय	**प्रस्ताव पर विचार कर अनुमोदन प्रदान किया गया।**	
मद सं. 4	**माननीय कुलपति महोदय के निम्नांकित प्रतिवेदित आदेशों का अभिलेखन एवं पुष्टि करना:-** (1) **<u>प्रतिवेदन है कि</u>** राज्य सरकार के वित्त विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-14 (1) FD/Rules/2013 pt. जयपुर दिनांक 08 जून, 2015 के द्वारा राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतनमान) नियम 2008 के Existing Schedule IV(Rule 21) में परिवीक्षाधीन कार्मिकों के स्थिर वेतन में दिनांक 01.07.2015 से किये गये संशोधन को विश्वविद्यालय में भी प्रवृत्त/मान्य किये जाने के माननीय कुलपति महोदय के आदेशानुसार कार्यालय आदेश क्रमांक एफ 1 ( ) संस्था./मदसविवि/2015/20367 दिनांक 22.06.2015 जारी किया गया है । **(कार्यसूची का परिशिष्ठ-1)**	संस्थापन
निर्णय	**पुष्टि की गयी।**	
	(2) **<u>प्रतिवेदन है कि</u>** स्व. राजकुमार कोची बाइण्डर, की निलम्बनकाल की अवधि दिनांक 30.04.1998 से 24.03.11 को, विधिक परामर्शदाता की राय के आधार पर विश्वविद्यालय के वेतन एवं भत्ते नियम 1998 के नियम (26) (1) (b) के अंतर्गत	संस्थापन

	"ड्यूटी पिरियड" मानने और इस अवधि की वेतनवृद्धियाँ स्वीकृत करने के माननीय कुलपति महोदय के आदेशानुसार कार्यालय आदेश क्रमांक एफ 1 ( ) संस्था./मदसविवि/2015/22334 दिनांक 28.04.2015 जारी किया गया है । **(कार्यसूची का परिशिष्ठ-2)**	
निर्णय	**पुष्टि की गयी।**	
मद स. 5	राज्य सरकार के कार्मिक विभाग (ए ग्रुप-2) की अधिसूचना क्रमांक एफ 7 (2) डी.ओ.पी./ए-ाा/2006 दिनांक 27.05.2011 द्वारा पदनाम "Assistant" को "Assistant Section Officer" किये जाने के अनुसार इस विश्वविद्यालय के अशैक्षणिक कर्मचारियों के नियुक्ति एवं पदोन्नति नियम 7 Chapter II की अनुसूची II B (d) में पदनाम "Senior Assistant" को "Assistant Section Officer" पदनाम में परिवर्तित करने पर विचार करना । **(कार्यसूची का परिशिष्ठ-3)**	**संस्थापन**
निर्णय	**पदनाम परिवर्तित करने का निर्णय लिया गया।**	
मद सं. 6	प्रमुख सचिव, राज्यपाल सचिवालय के पत्र क्रमांक प.1 (29)राभ/2015/3989 दिनांक 19.06.2015 एवं पत्रांक 4621 दिनांक 13.07.2015, पत्रांक 4855 दिनांक 20.07.15 की अनुपालना में विश्वविद्यालय के शिक्षक/अधिकारी/कर्मचारी की उपस्थिति बायोमेट्रिक मशीन में दर्ज कराये जाने की व्यवस्था हेतु माननीय कुलपति महोदय ने विश्वविद्यालय की अधिनियम की धारा 19 (4) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय, अजमेर कर्मचारियों की सेवा शर्तें इत्यादि नियमों के नियम 32 (ii) (a) में वाक्य "Ten minutes time may be allowed" को तुरन्त प्रभाव से "Fifteen minutes time may be allowed" संशोधित करने के आदेश प्रदान किये हैं । तद्नुसार कार्यालय आदेश क्रमांक एफ 1 ( )संस्था/मदसविवि/2015/26773 दिनांक 03.08.2015 जारी किया गया है । **(कार्यसूची का परिशिष्ठ-4)**	**संस्थापन**
निर्णय	**पुष्टि की गयी।**	
मद सं. 7	अधिसूचना क्रमांक एफ 1 ( )संस्था/मदसविवि/2013/646 दिनांक 08.01.2013 सपठित अधिसूचना क्रमांक एफ 1 ( )संस्था/मदसविवि/2015/21948 दिनांक 01.07.2015 के अनुसार इस विश्वविद्यालय के शिक्षकों को कैरियर एडवांसमेंट योजना के अन्तर्गत पदोन्नति देने हेतु राजस्थान विश्वविद्यालय शिक्षक एवं अधिकारी (नियुक्ति हेतु चयन) अधिनियम 1974 की धारा 5 (1) के प्रावधानानुसार गठित निम्नांकित चयन समितियों की दिनांक 09 अगस्त, 2015 को आयोजित हुई बैठकों की अनुशंषाओं पर उक्त अधिनियम की धारा 6 (2) के प्रावधानान्तर्गत विचार करनाः 1. प्रोफेसर, कम्प्यूटर साईंस हेतु चयन समिति । 2. प्रोफेसर, अर्थशास्त्र हेतु चयन समिति । 3. प्रोफेसर, पर्यावरण अध्ययन हेतु चयन समिति । 4. प्रोफेसर, खाद्य एवं पोषण हेतु चयन समिति । 5. प्रोफेसर, सूक्ष्मजीव विज्ञान हेतु चयन समिति । 6. प्रोफेसर, प्रबन्ध अध्ययन हेतु चयन समिति । 7. प्रोफेसर, विशुद्ध एवं अनुप्रयुक्त रसायनशास्त्र हेतु चयन समिति । 8. एसोसिएट प्रोफेसर, प्रबन्ध अध्ययन हेतु चयन समिति । उक्त चयन समितियों की अनुशंषाएं एवं विशेषज्ञों की मूल्यांकन रिपोर्ट कुलपति महोदय बैठक के समय पटल पर प्रस्तुत करेंगे ।	**संस्थापन**
निर्णय	**पटल पर प्रस्तुत की गयी दिनांक 09 अगस्त 2015 को आयोजित उक्त चयन समितियों की अनुशंषाऐं एवं विशेषज्ञों की मूल्यांकन रिपोर्ट पर विचार कर चयनसमितियों की निम्नांकित अनुशंषाओं का अनुमोदन किया :**	

	1. **प्रोफेसर, कम्प्यूटर साईंस (डा. नीरज भार्गव) कार्यवृत का परिशिष्ठ 1** 2. **प्रोफेसर, अर्थशास्त्र (डा. शिवदयाल सिंह) परिशिष्ठ 2** 3. **प्रोफेसर, पर्यावरण अध्ययन (डा. प्रवीण माथुर एवं डा0 सुब्रतो दत्ता) परिशिष्ठ 3** 4. **प्रोफेसर, खाद्य एवं पोषण (डा. भारती जैन एवं डा ऋतु माथुर) कार्यवृत्त का परिशिष्ठ 4** 5. **प्रोफेसर, सूक्ष्मजीव विज्ञान (डा. आशीष भटनागर एवं डा. मोनिका भटनागर) कार्यवृत्त का परिशिष्ठ 5** 6. **प्रोफेसर, प्रबन्ध अध्ययन (डा. शिव प्रसाद) कार्यवृत्त का परिशिष्ठ 6** 7. **प्रोफेसर, विशुद्ध एवं अनुप्रयुक्त रसायनशास्त्र (डा. रीटा मेहरा) कार्यवृत्त का परिशिष्ठ 7** 8. **एसोसिएट प्रोफेसर, प्रबन्ध अध्ययन (डा. आशीष पारीक एवं डा. दीपिका उपाध्याय) कार्यवृत्त का परिशिष्ठ 8** **चयन समिति की अनशंषाएँ एवं मूल्यांकन प्रतिवेदन संस्थान अनुभाग में संधारित होगा।**	
मद सं. 4	**माननीय कुलपति महोदय के निम्नांकित प्रतिवेदित आदेशों का अभिलेखन एवं पुष्टि करना:-** (3) **<u>प्रतिवेदन है कि</u>** डी.बी. सिविल रिट पिटिशन संख्या 774/2015 विकास कुमार यादव बनाम म.द.स. विश्वविद्यालय, अजमेर प्रकरण में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर के आदेश दिनांक 30.07.15 की अनुपालना में माननीय कुलपति महोदय ने विश्वविद्यालय की अधिनियम की धारा 19 (4) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते विश्वविद्यालय अध्यादेश 157-ए (11) एवं Rules No. 7 of Rules for preparation of Merit List and award of Merit certificates and Rules for Award of Medals and conditions for the Awards of Medals को omit करने के आदेश दिनांक12.08.2015 को प्रदान किये । उक्त आदेश की पालना में अधिसूचना क्रमांक एफ 13 ( ) शैक्ष-I/2015/28254 दिनांक 13 अगस्त, 2015 जारी की गयी । **(कार्यसूची का परिशिष्ठ-5)**	**शैक्षणिक-I**
निर्णय	**पुष्टि की गयी।**	
	(4) **<u>प्रतिवेदन है कि</u>** माननीय कुलपति महोदय द्वारा विश्वविद्यालय अधिनियम की धारा 19(4) के अंतर्गत प्रदत्त आदेशों की अनुपालना में विश्वविद्यालय अधिनियम की धारा 31 (2) के प्रावधानांतर्गत सोफिया कन्या महाविद्यालय, अजमेर के Conferment of Autonomous Status के आवेदन के क्रम में उक्त महाविद्यालय का विश्वविद्यालय नियमानुसार तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की गाईड लाईन के अनुसार निरीक्षण कर रिपोर्ट देने हेतु Standing Committee का गठन हेतु कार्यालय आदेश क्रमांकः एफ.14 (131) शैक्ष.।।/ मदसविवि/ 2015/28619 दिनांक 18.08.2015 जारी किया गया। **(कार्यसूची का परिशिष्ठ-6)**	**शैक्षणिक-II**
निर्णय	**पुष्टि की गयी।**	
	(5) **<u>प्रतिवेदन है कि</u>** विद्या परिषद की 51वीं बैठक दिनांक 11 जुलाई, 2015 के निर्णय सं.9 के क्रम में माननीय कुलपति महोदय के द्वारा विश्वविद्यालय अधिनियम की धारा 19(4) के अंतर्गत प्रदत्त आदेशों की अनुपालना में अध्यादेश 38 के प्रावधानों को संशोधित किये जाने, अध्यादेश 39 से 70 omit किये जाने तथा नवीन अध्यादेश **70**A.Ordinance pertaining to affiliation of colleges and approval of institutions सत्र 2015-2016 से प्रभावी एवं लागू किये जाने सम्बन्धी Notification No.F.14(51)A.C./Acad.II/2015/25861 dt-28.07.2015 जारी किया गया । **(कार्यसूची का परिशिष्ठ-7)** नवीन सम्बद्धता शुल्क सत्र 2015-2016 से प्रभावी एवं लागू किये जाने सम्बन्धी कार्यालय आदेश क्र:No.F.14(51)A.C./ Acad.II/2015/26162 dt 28.07.2015 जारी किया गया। **(कार्यसूची का परिशिष्ठ-8)**	**शैक्षणिक-II**

निर्णय	**उक्त अधिसूचना तथा आदेश की पुष्टि इस प्रेक्षण के साथ की गई :** **1. अध्यादेश 70-A-7(i) B के अन्तर्गत Corpus Fund/Endowment Fund की राशि 5.00 लाख प्रति कोर्स के स्थान पर 5.00 लाख की गई।** **2. कार्यालय आदेश क्रमांकः No.F.14(51)A.C./Acad.II/ 2015/ 26162 dated 28.07.2015 अके बिंदु सं.4 में स्थायी संबद्धता हेतु महाविद्यालय द्वारा देय शुल्क रु.दस लाख प्रति कोर्स के स्थान पर कुल रु. दस लाख की गई। Approval of Institution के लिए प्रस्तावित प्रावधानों पर पूर्व के निर्णीत प्रावधानों के आधार पर पुनर्विचार करें।**	
	(6) **<u>प्रतिवेदन है</u>** क्रमांकः No.F.14(51)A.C./Acad.II/ 2015/ 26162 dated 28.07.2015 **<u>कि</u>** अधिसूचना क्रमांक एफ 1 ( )संस्था/मदसविवि/2015/21948 दिनांक 01.07.2015 के अन्तर्गत नियमानुसार गठित प्रबन्ध अध्ययन विषय Screening cum Evaluation की समिति की दिनांक 08 जुलाई, 2015 को सम्पन्न बैठक की अनुशंषाओं का माननीय कुलपति महोदय द्वारा अनुमोदन किया गया है । तदनुसार कार्यालय आदेश क्रमांक एफ 1 ( )संस्था/मदसविवि/ 2015/ 23496 दिनांक 08.07.2015 जारी किया गया । **(कार्यसूची का परिशिष्ठ-9)**	संस्थापन
निर्णय	**पुष्टि की गयी।**	
मद सं. 8	**अधिसूचना** क्रमांक एफ 1 ( )संस्था/मदसविवि/ 2015/ 21948 दिनांक 01.07.2015 के अन्तर्गत नियमानुसार गठित पुस्तकालय विज्ञान विषय की Screening cum Evaluation की समिति की दिनांक 27 अगस्त, 2015 को सम्पन्न हुई बैठक की अनुशंषाओं पर विचार करना । **(समिति की अनुशंषायें कुलपति महोदय द्वारा पटल पर प्रस्तुत की जायेगी ।)**	संस्थापन
निर्णय	**पटल पर प्रस्तुत उक्त अनुशंषाओं का प्रबंध बोर्ड ने अनुमोदन किया (कार्यवृत का परिशिष्ठ 9)**	
मद सं. 9	राजस्थान विश्वविद्यालय शिक्षक एवं अधिकारी (नियुक्ति हेतु चयन) अधिनियम 1974 की प्रथम अनुसूची के क्रमांक 05 के प्रावधानों के अनुसार पुस्तकालयाध्यक्ष के पद पर नियुक्ति हेतु चयन समिति पर पुस्तकालय विज्ञान एवं सूचना प्रशासन के विशेषज्ञों के पैनल की अनुशंषा करना । **(एतदर्थ शिक्षा संकाय के संकायाध्यक्ष द्वारा प्रस्तावित उक्त विषय विशेषज्ञों का पैनल प्रबन्ध बोर्ड के पटल पर प्रस्तुत होगा।)**	संस्थापन
निर्णय	**पुस्तकालय विज्ञान एवं सूचना प्रशासन के विशेषज्ञों के पैनल का अनुमोदन किया। विषय विशेषज्ञों का पैनल संस्थापन अनुभाग में संधारित होगा।**	
मद सं. 10	विश्वविद्यालय के प्रबन्ध अध्ययन विभाग से आचार्य पद से अक्टूबर, 2002 में सेवानिवृत्त प्रो.एन.एम. खण्डेलवाल की 5th Pay Commission के सुसंगत UGC Fixation के फलस्वरूप 01.04.2002 को देय एरियर राशि का भुगतान 01.04.2002 को नहीं किया जाकर अप्रेल, 2011 में किए जाने तथा एरियर राशि पर दिनांक 01.04.2002 से अप्रेल, 2004 की अवधि के ब्याज का भुगतान पृथक से कर दिए जाने के कारण प्रो. एन.एम. खण्डेलवाल द्वारा एरियर की भुगतान की गई राशि रूपये 1,80,149/- मात्र पर अप्रैल, 2002 से अप्रैल, 2011 अर्थात 07 वर्ष की अवधि के लिए ब्याज की राशि की मांग की जा रही है । वेतनमान एरियर के विलंब से भुगतान किए जाने के संबंध में ब्याज देने का कोई प्रावधान नियमों में नहीं है। पेंशन के विलंब से भुगतान किए जाने पर 9% ब्याज सहित भुगतान किए जाने बाबत् राजस्थान पेंशन नियम में आवश्यक प्रावधान है । वित्तीय वर्ष 2013-14 में तत्कालीन वित्तीय सलाहकार के परामर्श पर तत्कालीन माननीय कुलपति महोदय के आदेश दिनांक 09.11.2013 द्वारा प्रकरण में ब्याज राशि के भुगतान के संबंध में नीतिगत निर्णय हेतु प्रकरण प्रबन्ध बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया । उपर्युक्त अनुच्छेद की पालना में प्रबन्ध बोर्ड की 85वीं बैठक दिनांक 23.12.2014	वित्त एवं लेखा

	में ब्याज की राशि का भुगतान किये जाने के संबंध में नीतिगत निर्णय तथा ब्याज की दर का निर्धारण किए जाने हेतु मद प्रबन्ध बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किया गया था किन्तु प्रबन्ध बोर्ड द्वारा निर्णय लिया गया कि सम्पूर्ण तथ्यों के साथ स्पष्ट प्रस्ताव प्रबन्ध बोर्ड के समक्ष रखा जाये । प्रो. एन.एम. खण्डेलवाल को अप्रैल, 2004 में वेतन एरियर के निमित्त भुगतान की जाने वाली राशि 1,80,149/- मात्र का भुगतान वस्तुतः अप्रैल, 2004 के स्थान पर अप्रैल, 2011 में किया गया था । उपलब्ध अभिलेख में एरियर की राशि का पी.डी. एकाउन्ट से आहरण अप्रैल, 2004 में विश्वविद्यालय खाते में प्राप्त हो जाने के पश्चात् भी प्रो. एन.एम.खण्डेलवाल को तत्समय भुगतान नहीं किये जाने बाबत् कोई कारण अभिलिखित नहीं पाया जाता है । यहां यह भी उल्लेखनीय है कि पी.डी. एकाउण्ट से अप्रैल, 2003 से 2004 की अवधि के लिए समस्त शिक्षकगण की वेतन एरियर की राशि के निमित ब्याज की राशि भी विश्वविद्यालय में जमा हुई थी इसमें प्रो. एन.एम. खण्डेलवाल से संबंधित ब्याज की राशि 24,416/- मात्र भी सम्मिलित थी जिसका भुगतान चैक संख्या 408857 दिनांक 11.08.2005 से किया गया था किन्तु अभिलेख में उक्त चैक का नगदीकरण नहीं होने/कराये जाने के कारण फ्रेश चैक संख्या 294832 दिनांक 21.04.2001 रूपये 24,416/- का भुगतान हेतु जारी किया गया । उपर्युक्त अनुच्छेद से यह तो स्पष्ट तौर पर परिलक्षित होता है कि राशि 1,80,149/- के भुगतान की विलम्ब अवधि 07 वर्ष के लिए ब्याज की राशि की संबंधित शिक्षक द्वारा की जा रही मांग विचारणीय है यद्यपि वित्तिय नियमों में वेतन एरियर की राशि का विलंब से भुगतान किए जाने की स्थिति में ब्याज का भुगतान किये जाने का कोई प्रावधान नहीं है । Budget Finance & Accounts Rule के नियम 38 "Delays in Payments" में विलम्ब से भुगतान के संबंध में निम्न दिशा-निर्देश है:- Delays in the payment of money undisputably due should be avoided, disputes of any should be settled by the competent authority within three months. उपर्युक्त तथ्यों के आलोक में प्रकरण पर विचार किया जाना उपयुक्त प्रतीत होता है क्योंकि अभिलेख में वेतन एवं एरियर राशि के भुगतान के संबंध में कोई Dispute अभिलिखित नहीं है एवं राज्य सरकार से वेतन भत्तों के भुगतान हेतु प्राप्त अनुदान राशि में से प्रो. एन.एम. खण्डेलवाल की राशि को निर्दिष्ट समय पर भुगतान नहीं किया जा सका एवं उक्त राशि विश्वविद्यालय की सामान्य निधि की राशि में सम्मिलित रही । जहां तक ब्याज दिये जाने का नीतिगत निर्णय लिये जाने पर ब्याज की दर का निर्धारण का प्रश्न है उक्त अवधि में सावधि जमाओं पर ब्याज का अर्जन होने को दृष्टिगत रखते हुए आर.एस.आर. नियमों में पेंशन परिलाभों के विलम्ब से भुगतान की स्थिति में निर्धारित ब्याज दर 9 प्रतिशत वार्षिक (साधारण) के आधार पर ब्याज के भुगतान का प्रकरण विचारणीय है । अतः समस्त तथ्यों के साथ प्रकरण प्रबन्ध बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत कर प्रो. एन.एम. खण्डेलवाल की राशि रूपये 1,80,149/- पर 7 वर्ष की अवधि के लिये ब्याज की राशि का भुगतान किये जाने के संबंध में नीतिगत निर्णय लेने हेतु प्रस्ताव विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत है।	
निर्णय	**एरियर के भुगतान में विलंब के लिये ब्याज देने का नियमों में प्रावधान नहीं होने के कारण प्रस्तुत मद को निरस्त किया एवं भविष्य में ऐसे प्रकरण प्रबंध बोर्ड में प्रस्तुत नहीं होने चाहिए।**	

मद सं. 11	विद्या परिषद की दिनांक 31 अगस्त, 2015 को सम्पन्न हुई 52वीं बैठक के कार्यवृत्त पर विचार करना। **(कार्यसूची का परिशिष्ठ-10)**	**शैक्षणिक-I**
निर्णय	**पुष्टि की गयी।**	
मद सं. 12	विद्या परिषद की दिनांक 11 जुलाई, 2015 को सम्पन्न हुई 51वीं बैठक के कार्यवृत पर विचार करना। परिशिष्ठ-11	
निर्णय	**पुष्टि की गई।**	
मद सं0 13	महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय, अजमेर के श्रद्धानन्द अतिथिगृह में ठहरने के लिए आने वाले विशेषज्ञ व अतिथियों को अच्छी सुविधाऐं प्रदान करने हेतु गठित समिति की बेठक दिनांक 06 अगस्त, 2015 की अनुशंषाऐं निर्णयार्थ प्रस्तुत हैं। **(कार्यसूची का परिशिष्ठ 12)**	
निर्णय	**संस्तुतियों को अनुमोदन प्रदान किया गया।**	
मद सं0 14	विश्वविद्यालय में वेतनमान रूपये 15600-39100 ग्रेड पे 5400/- में स्वीकृत एवं सृजित निजी सचिव के पद पर नियुक्ति की प्रक्रिया और योग्यता का निर्धारण नहीं है। अतः राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर में निजी सचिव-कुलपति के पद हेतु निर्धारित निम्नांकित योग्यता को म.द.स.विश्वविद्यालय, अजमेर में अंगीकृत करने पर विचार करना : **P.S.to V.C** Recruitment depending on Vice-Chancellor's choice, Direct or through transfer from the same cadre or promotion from Jr.Cadre(Seniority should not be the criteria).	
निर्णय	उक्त पद हेतु योग्यता निम्नानुसार लागू करने का निर्णय किया : P.S.to V.C Recruitment depending on Vice-Chancellor's choice, through deputation or transfer from the same cadre or by adhoc promotion from Jr.Cadre. Seniority should not be the criteria.	
मद सं0 15	Guidelines for Autonomous Colleges of University Grants Commission during the 12th Plan Period (2012-2017) के प्रावधानानुसार स्वायत्ता प्रस्थिति हेतु फीस निर्धारण के सम्बन्ध में प्रकरण प्रबन्ध बोर्ड के समक्ष विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत है। कार्यसूची का परिशिष्ठ-	
निर्णय	**महाविद्यालय को स्वायत्ता प्रस्थिति हेतु फीस रु.5.00 लाख प्रतिवर्ष निर्धारित की गई।**	

अन्त में माननीय कुलपति महोदय को धन्यवाद ज्ञापित करते हुए बैठक सम्पन्न हुई।

कुलपति **कुलसचिव**